राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5203 / 2005 / चित्तौडगढ़

श्री खेमा पिता दौला तेली निवासी मडवदा तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़

....अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र नारायण जाति लुहार मृतक जरिये वारिसान–
1 / 1. श्यामलाल पुत्र भंवरलाल
1 / 2. लालीबाई नवासा भंवरलाल
2. गोपीलाल पुत्र रामा लुहार
3. कुचरिया पुत्र रूपा लुहार
4. देवीलाल पुत्र तुलछा धाकड़
   सभी निवासीया मडवदा तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौडगढ़

....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलांट

दिनांक : 16–10–2025

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–03–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सूचना के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट / वादी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा मड़ावदा में गत भू–प्रबन्ध के पूर्व खसरा नं. 371, 372,372 / 527, 370 / 525, 371 / 526 कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 6 बीघा 11 बिस्वा से नवीन भू–प्रबन्ध मय खसरा नं. 691, 694 कुल खसरा 2

क्षेत्रफल 1.36 है0 बने हैं। नवीन भू–प्रबन्ध जो गत बार हुआ उसमें वादी का क्षेत्रफल 8 बीघा 15 बिस्वा बनता है जिसे हैक्टेयर में 1.36 है0 दर्शाया है उसका बीघा में 8 बिघा 9 बिस्वा ही होता है। इस प्रकार वादी के खाते में 6 बिस्वा भूमि कम अंकित हुई है, जो प्रतिवादी के खसरा नं. 689, 690 एवं 703 में जोड़ दिया गया है। इसलिए उक्त खसरा नं. 689 व 690 में से 6 बिस्वा कम कर अपीलान्ट/वादी के खाते में जोड़ा जावे। अपीलान्ट/वादी ने अपनी उपरोक्त प्लिडिंग को प्रमाणित करने हेतु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश कर अपने दाव को साबित किया, जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद को प्रमाणित करने हेतु साबिक जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस व हाल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस यानि भू–प्रबन्ध के पूर्व की एवं पश्चात् की जमाबन्दियां व नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश कर साबिक व हाल रकबे की तुलना करवाकर हाल जमाबन्दी व नक्शे में 6 बिस्वा रकबा अपनी खातेदारी में कम आना प्रमाणित किया है। अपीलान्ट/वादी ने अपनी प्लिडिंग से वाद पत्र में अपनी खातेदारी में 6 बिस्वा भूमि कम होना अंकित करने की अवस्था में न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को कब्जे की मौका रिपोर्ट एवं साबिक व हाल नक्शा ट्रेस एवं साबिक व हाल जमाबन्दी अनुसार नाप की गणना कर निर्णय एवं डिक्री पारित करना न्यायोचित था, जिस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–03–2005 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2004 को निरस्त की जाकर अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी के हक में निर्णित एवं डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने यह अपील अपीलान्ट के खाते में 6 बिस्वा भूमि को कम अंकन को लेकर पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17–04–2004 को अपीलान्ट का वाद सिद्ध नहीं करने से वाद खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने भी निर्णय दिनांक 24–03–2005 में अपील साबित होना नहीं माना है। अपीलार्थी वादी द्वारा जो जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1 से लेकर 5 तक पेश किये गये हैं उससे यह स्पष्ट नहीं

होता है कि अपीलार्थी की भूमि किस पक्ष के खातेदार के खाते में अंकित हुई है। वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के संबंध में मिलान क्षेत्रफल व गत जमाबन्दी की प्रति भी पेश नहीं की है जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वादी/अपीलान्ट का कमी क्षेत्रफल प्रतिवादीगण के खातेदारी में बढ़ा हो। वादी/अपीलान्ट को यह साबित करना था कि उसका क्षेत्रफल कम किया जाकर यह किस खसरे में बढ़ा है, जिसमें वह असफल रहा है। केवल उल्लेख कर देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अंकित हो गई है। वादी/अपीलान्ट को अपने अधिकारों के लिए स्वयं अपना वाद अथवा अपील प्रमाणित करनी होती है, जिसमें वह असफल रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनके द्वारा भी दावा/अपील साबित होना नहीं माना है। अतः हम मातहत न्यायालयों के निर्णय उचित एवं विधिसम्मत होना मानते हैं जिनमें कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील साबित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य